न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–एन. एम. पहाडिया आई.ए.एस., कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 70/2018 (आरसीएमएस नं0 2018/00108)

उनवानी प्रकरण :–

1 मोहन सिहं पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति त्यागी निवासी रनजीतपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ——————————————————प्रार्थी ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर) ——————————————————— अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री नत्थीलाल शर्मा अभिभाषक।
1. अप्रार्थी की ओर से :– अनुभव पारासर सहा0 लोक अभियोजक (प्रथम)

निर्णय दिनांक 1211.2018

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2869 दिनांक 18.11.2013 से सूची अनुसार कुल 20 व्यक्तियों के आर्म्स अनुज्ञा पत्र यह कहते हुए निरस्त कर दिए कि उक्त 20 अनुज्ञा पत्र धारियों ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, इसलिए सूची में क्रम संख्या 10 पर अंकित प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3) के तहत तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया तथा शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को पुलिस थाने पर जमा कराये जाने के आदेश दिए गए।

अप्रार्थी के आदेश दिनांक 18.11.13 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28.3.2018 के द्वारा कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर के आदेश दिनांक 2869 दिनांक 18.11.13 को (क्रम संख्या 10 अनुज्ञा पत्र संख्या 13/77 की हद तक) अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलान्ट (प्रार्थी) को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तार्किक न्याय संगलत एवं स्पीकिंग निर्णय पारित करें ।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के निर्णय दिनांक 28.3.2018 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया ।

(नन्दमल पहाड़िया)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

प्रार्थी की ओर से श्री नत्थीलाल शर्मा अभिभाषक एवं अप्रार्थी की ओर से श्री अनुभव पारासर सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञा पत्र के बहाली एवं नवीनीकरण हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई । जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.8.2018 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना कौलारी से मार्फत वृत्ताधिकारी सैपऊ (धौलपुर ग्रामीण) से जॉच कराई गई तो जॉच रिर्पोट में अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा शस्त्र का इस अवधि में कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है । इस अवधि में प्रार्थी की कोई आपराधिक पृष्ठ भूमि नहीं है । प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है । शस्त्र की बहाल किये जाने की सिफारिश की है । वैध अवधि समाप्त होने पर शस्त्र जमा कर लिया गया है जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी उक्त रिर्पोट में प्रार्थी के आर्म्स अनुज्ञा पत्र को बहाल /नवीनीकरण किये जाने की अनुशंसा की है ।

प्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि से अतिकमण हटाये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार सैपऊ से रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार सैपऊ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 2.7.18 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी का राजकीय भूमि पर वर्तमान में कोई अतिकमण नहीं है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान व भविष्य में किसी राजकीय भूमि पर अतिकमण नहीं होने व भविष्य में नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। .

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि यदि अप्रार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की संज्ञा में आता है तो कब और किस भूमि पर पश्चातवर्ती अवैध कब्जा रहा है, स्पष्ट नहीं किया गया। अप्रार्थी का यह तथ्य कि अनुज्ञापत्रधारी ने हथियारों का दुरूपयोग कर सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, गलत है तथा उपलब्ध तथ्यों के विरूद्ध है। प्रार्थी के विरूद्ध जब से शस्त्र लाईसेंस है तब से अब तक कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं है कि उसने अपने शस्त्र का दुरूपयोग किया है, न ही पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी ने कभी हथियारों का दुरूपयोग कर लोक शान्ति को भंग किया है। अपीलान्ट ने राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। प्रार्थी ने इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है तथा भविष्य में कभी भी किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करेगा । इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार सैपऊ की रिपोर्ट से होती है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.8.2018 में प्रार्थी पर कोई भी आपराधिक रिकार्ड नहीं बताया है तथा अप्रार्थी का चाल–चलन अच्छा बताया है । शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 13/77 बहाल किया जाकर नवीनीकरण किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि तहसीलदारों से प्राप्त सूची के अनुसार प्रार्थी ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने हथियार का दुरूपयोग कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया तथा इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता न होकर प्रार्थी स्वयं सरकारी भूमि के लिए असुरक्षा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे हालातों के मद्दे नजर लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है

(नन्दमल पहाड़िया)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

जो सही है। आदेश दिनांक 18.11.13 कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

निर्णय करने से पूर्व तहसीलदार सैपऊ से यह रिर्पोट प्राप्त की गई कि प्रार्थी द्वारा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा लिया है या नहीं ? तहसीलदार सैपऊ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 2.11.2018 के द्वारा अवगत कराया है कि मौके की पटवारीहल्का एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा जॉच करायी गई। जॉ में पाया गया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम रन्जीतपुरा पटवार मण्डल कुरैधा में आराजी खसरा नम्बर 604 रकवा 2 बीघा 6 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता में से रकवा 2 विस्वा पर बरसी की फसल बोकर अतिकमण किया है जिसकी रिपोर्ट भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91 क तहत दिनांक 2.11.2018 को प्राप्त हुई हे। जिसमें कार्यवाही जारी है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.5.2018 में प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को बहाल/नवीनीकरण करने की अनुशंषा की है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** प्रार्थी को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत नोटिस देकर प्रार्थी का पक्ष सुना जा चुका है। अधिनियम की धारा 17 (3) अनुज्ञापन अधिकारी को अनुज्ञा पत्र को निलम्बन करने और निरस्त करने की व्यापक शक्तियॉ प्रदान करता है। धारा 17(3)(बी) पब्लिक पीस, पब्लिक सैफ्टी के हित में अनुज्ञापत्र को निलम्बन करने एवं निरस्त करने का प्राधिकार देती हैं जहॉ अनुज्ञापन अधिकारी ऐसा करना उचित व आवश्यक समझे। प्रार्थी द्वारा सरकारी जमीन से अतिकमण हटाने तथा भविष्य में अतिकमण नहीं करने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 604 रकवा 2 बीघा 6 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम रन्जीतपुरा में से 2 विस्वा रकवा पर बरसी की फसल बोकर अतिकमण किया है जिसकी पुष्टि तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 2.11.2018 से होती है। यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि प्रार्थी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आदी है जो बार बार हथियार के बल पर सरकारी जमीन पर अतिकमण करता रहता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना एंव अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञापत्र बहाली /नवीनीकरण करने सम्बन्धी खारिज करते हुए प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 13/77 को निरस्त किया जाता है। तथा आर्म्स अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को थाने में जमा कराने के आदेश दिये जाते हैं । पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 12.11.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

((नन्दलाल पहाडिया))
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)